FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:–174 / 2025 (2025 / 396)

प्रार्थी — हीराराम   बनाम   अप्रार्थी — रूधसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-10-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व प्रार्थना पत्र अनवान हीराराम बनाम अचलाराम अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 07.12.2026 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खाजिर किया गया था। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुंणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रहलादसिंह उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2025 को पेश किया है। जबकि मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज हो गया लगभग नौ वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी खारिज किया जाता है। तथा नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हस्ताक्षर)	